



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No. : IN-UP026502325574300
Certificate Issued Date : 01-Dec-2016 03:55 PM
Account Reference : NONACC (BK)/ upcbibk02/ MUZAFFARNAGAR2/ UP-MJF
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPCBIBK02031815456503830
Purchased by : VASUNDHARA INFRA BUILT PVT LTD TH DIR AMIT KUMAR
Description of Document : Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description : AGRICULTURE LAND SITUATED AT VILL-SUJRU, MUZAFFARNAGAR.
Consideration Price (Rs.) :
First Party : AMEER AHMAD SO RAHMAT ILAHI
Second Party : VASUNDHARA INFRA BUILT PVT LTD TH DIR AMIT KUMAR
Stamp Duty Paid By : VASUNDHARA INFRA BUILT PVT LTD TH DIR AMIT KUMAR
Stamp Duty Amount(Rs.) : 68,000
(Sixty Eight Thousand only)



E - STAMP

LOCKED BY.....

.....Please write or type below this line.....

मौहल्ला सुमन विहार शहर मुजफ्फरनगर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर
द्वितीय पक्ष के है।

अमेर अहमद सो राहमत इलाही

Amit Kumar

VO 0002739329

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at www.e-stampsonline.gov.in. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



अ.मि. अमीर अहमद



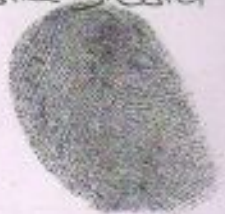
Umar

क्षेत्राधिकार कार्यालय उप निबन्धक द्वितीय/प्रथम
प्रतिज्ञा पत्र विक्रय बिला कब्जा
आवंटित वी. कोड:- 1080

महायदा मूल्य	:- 34,00,000 / -रूपये
अग्रिम धन	:- 5,00,000 / -रूपये
स्टाम्प शुल्क	:- 68,000 / -रूपये

हम कि अमीर अहमद (VID NO. -JZX 2012060) पुत्र श्री रहमत
इलाही निवासी ग्राम सूजडू परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर प्रथम पक्ष व
वसुन्धरा इन्फ्राबिल्ड प्रा0लि0 (PAN NO-AADCV8074B) 910 सिविल लाईन
दक्षिणी (सरकुलर रोड) शहर मुजफ्फरनगर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर
द्वारा डायरेक्टर अमित कुमार पुत्र श्री विरेन्द्र पाल सिंह निवासी नकान नम्बर 438/28

अ.मि. अमीर अहमद



Umar



जो कि निम्नलिखित सम्पत्ति तन्हा प्रथम पक्ष की पैतृक सम्पत्ति है। निम्नलिखित सम्पत्ति प्रथम पक्ष के कब्जे व अधिकार में है, और जो इस समय तक हर प्रकार के भार बन्धक आदि से कतई स्वच्छ एवं मुक्त है। किसी वित्तीय संस्थान या व्यक्तिगत वित्तीय संस्थान में बन्धक नहीं है, और न ही किसी जमानत में दी हुई है, और जिसके बारे में प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार हर किस्म प्राप्त है। प्रथम पक्ष ने निम्नलिखित सम्पत्ति के बेचने का सौदा द्वितीय पक्ष से कर रहा है। अतः प्रथम पक्ष ने स्वेच्छा तथा प्रसन्नता व स्वस्थ मस्तिष्क की दशा में होकर अपनी निम्नलिखित सम्पत्ति को मय उससे सम्बन्धित अपने समस्त अधिकारों के न रखने शेष किसी भी अधिकार के अपनी आवश्यकता वश अपने परिवार के परामर्श व सहमति से निम्नलिखित सम्पत्ति के बेचने के सौदा चौतीस लाख 34,00,000/-रूपये में द्वितीय पक्ष को किया है, और द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष की निम्नलिखित सम्पत्ति को मौके पर देख लिया है, और समझ लिया है, और उसके आकार प्रकार तथा उसमें प्रथम पक्ष के अधिकारों के प्रति अपनी पूरी जानकारी और तसल्ली कर ली है कि यह सही है, और द्वितीय, प्रथम पक्ष की निम्नलिखित सम्पत्ति को

ज.मि.अजीर अहमद



Q.umar.



उक्त मूल्य में क्रय करने के लिये तैयार है, दोनों पक्ष बैनामे के निष्पादन व रजिस्ट्री के लिये दिनांक 01-07-2018 ई0 तक का समय निश्चित करते हैं। प्रथम पक्ष ने मुबलिग पांच लाख 5,00,000/-रुपये अग्रिम धन में द्वितीय पक्ष से इस प्रकार कि मुबलिग 2,00,000/-रुपये द्वारा चैक नम्बर 000050 व मुबलिग 3,00,000/-रुपये द्वारा चैक नम्बर 001122 प्रत्येक एच0डी0एफ0सी0 बैंक मुजफ्फरनगर प्राप्त किये हैं। जो बैनामे के निष्पादन के समय जरे कीमत में मुजरा किये जावेगे तथा शेष जरे कीमत द्वितीय पक्ष बैनामे के समय अदा करेगा। अतः दोनों पक्ष बैनामे के निष्पादन व रजिस्ट्री के लिये निम्न धाराओं के पाबन्द रहेंगे। नं01:- यह कि प्रथम पक्ष उपरोक्त निश्चित की गई अवधि के अन्तर्गत जब भी द्वितीय पक्ष बैनामा कराना चाहे अपनी निम्नलिखित सम्पत्ति का बैनामा तय की गई उक्त धनराशि में बहक द्वितीय पक्ष बिना किसी आपत्ति के कर देगा यदि प्रथम पक्ष उक्त अवधि के अन्तर्गत द्वितीय पक्ष के बैनामा कराने के बावजूद बैनामा नकरे तो द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह शेष विक्रय मूल्य अदालत के अधिकार में जमा करके बैनामा द्वारा अदालत अपने हक में करा लेवे इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति न होगी। नं02:-यह कि यदि उपरोक्त अवधि के भीतर प्रथम

अभि. अक्षीर अहमद



Aluman



पक्ष के बैनामा करने के बावजूद, द्वितीय पक्ष बैनामा न कराये और कराने से इन्कार करे तो ऐसी समस्त दशाओ में द्वितीय पक्ष को दिया हुआ अग्रिम धन जब्त माना जावेगा और प्रथम पक्ष अग्रिम धन वापिस लौटाने का पाबन्द न होगा तथा निम्नलिखित सम्पत्ति उक्त शर्तों की पाबन्दी से मुक्त मानी जावेगी। नं03:- यह कि शेष विक्रय मूल्य द्वितीय पक्ष रजिस्ट्री समय प्रथम पक्ष को अदा करेगा और बैनामे के निष्पादन एव रजिस्ट्री का कुल खर्च बजिम्मे द्वितीय पक्ष रहेगा। यदि प्रथम पक्ष के बैनामा न करने की दशा में द्वितीय पक्ष को बैनामे के निष्पादन की कार्यवाही अदालत में करनी पड़ी तो जो खर्च अदालत में होगा बजिम्मे प्रथम पक्ष रहेगा। जिसे द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष से प्राप्त करने का अधिकार होगा। नं04:- यह कि द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा बैनामा स्वयं अपने नाम या अपने साथ अपने से सम्बन्धित व्यक्ति एक या एक से अधिक को शामिल करके कराये इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति न होगी। यदि प्रथम पक्ष को बैनामा करने के लिये निम्नलिखित सम्पत्ति की बाबत कोई अनुमति किसी न्यायालय या विभाग या कार्यालय से प्राप्त करने की आवश्यकता हुई तो वह अनुमति प्रथम पक्ष अपने खर्च से प्राप्त करके उसकी लिखित सूचना द्वितीय पक्ष को देकर बैनामा करने का पाबन्द होगा।

अभिजीत अश्वर अश्वर



P. Kumar



नं05:- यह कि प्रथम पक्ष ने अपनी निम्नलिखित सम्पत्ति का कोई प्रतिज्ञा पत्र विक्रय नहीं किया हुआ है और न ही किसी भी तरीके से हस्तान्तरित है और न ही भविष्य में करेगा। नं06:- यह कि निम्नलिखित सम्पत्ति पर द्वितीय पक्ष को कब्जा बैनामे के निष्पादन के समय दिया जावेगा तब तक प्रथम पक्ष का ही कब्जा रहेगा। नं07:- यह कि बैनामे के निष्पादन के समय सम्पत्ति निम्नलिखित पर यदि कोई मतालबा सरकारी या गैर सरकारी किसी भी तरह का प्रथम पक्ष की ओर देय व बकाया हुआ तो प्रथम पक्ष उसे अदा अदा व बेबाक करते हुये बैनामा बहक द्वितीय पक्ष करने का पाबन्द रहेगा। नं08:- यह कि उक्त शर्तों के दोनो पक्ष व उनके वारसान पूर्ण पाबन्द है, और भविष्य में भी पाबन्द रहेंगे। अस्तु यह प्रतिज्ञा पत्र विक्रय लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति:-

विवरण सम्पत्ति स्थित ग्राम सुजडू परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर:-
जो कि कृषि भूमि खतौनी वर्ष 1419 ता 1424 फसली के खाता संख्या 66 के नम्बर

अ० मे० असीर अहमद



खसरा 2147 / 1.0450 हैक्टेयर का हक व हिस्सा कुल प्रथम पक्ष यागि 26125 / 104500
भाग। भागानुसार क्षेत्र 0.26125 हैक्टेयर नय जुमला हक व हकूक हर किरम।

सोमो अमीर अहमद



Alumar



साक्षी Mustafa
मु. तफा अमीर अहमद
मुज्जु मु. नगर

साक्षी Amir
मो. मामा अहमद
मुज्जु मु. नगर

Mustafa



तहरीर ता०:- 02-12-2016 ई०

ड्राफ्टकर्ता:- योगेन्द्र कुमार काम्बोज एडवोकेट तहसील सदर मुज्जु नगर

Yigandha

आज दिनांक 02/12/2016 को

वही सं 1 जिल्द सं 9785

पृष्ठ सं 87 से 100 पर क्रमांक 9625

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



नरेंद्र कुमार (अनिल सिंह नि0लि0)

प्र0उपनिबन्धक प्रथम

मुजफ्फरनगर

2/12/2016

